



चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एंटी रोमियों टीमों/‘शक्ति दीदी’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व “शक्ति दीदी” अभियान के तहत आज दिनांक 21.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एंटी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू०५०११२ नम्बर/वूमेन पावर लाइन 109०/यू०५१ कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/107६ मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/109८ चाइल्ड हेल्प लाइन/10२ स्वास्थ्य सेवा/10८ एम्बूलेन्स सेवा/19३० साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गईं। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलों के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलों को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा भोली-भाली जनता में आर्थिक व भौतिक लाभ को लेकर भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त देशराज पुत्र रामलाल निवासी पचोखर थाना पहाड़ी के विरुद्ध धारा 3 यू०५१ गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत की कार्यवाही की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारणी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह व उनकी टीम द्वारा नाबालिक के साथ बलात्कार के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.01.2026 को एक वादी द्वारा थाना मऊ में सूचना दी गयी कि उसकी नातिन शौच क्रिया कर के घर की तरफ वापस आ रही थी तभी अभियुक्त रोहित पुत्र राकेश निषाद उसे सरसों के खेत में घसीटकर ले गया वहां उसके साथ बलात्कार किया तथा शोर मचाने पर मारपीट किया। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 24/26 धारा 115(2),64(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 21.01.2026 को प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रोहित पुत्र राकेश निषाद को गैस एजेन्सी अहिरी थाना मऊ के पास से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के क्रम में शैक्षिक प्रमाण पत्र तथा माननीय न्यायालय के समक्ष पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) का लोप करते हुये धारा 70(2) बीएनएस व 4(2) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह
- 2.30नि0 श्री मुन्नीलाल
- 3.आरक्षी दुर्गेश नंदन
- 4.आरक्षी चालक प्रभात दुबे

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे एवं पैरोकार आरक्षी हिमांशु पटेल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस.आनन्द द्वारा आज दिनांक 21.01.2026 को थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 85/2018 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त राकेश सिंह पुत्र शिवप्रताप सिंह निवासी कस्बा बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।